11-09-2014

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०। आरोपी आनंद पूर्व से निर्णित । आरोपी नैनसुख अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारंट अदम तामिल इस टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ है कि आरोपी नैनसुख पिता मंगल सतनामी का कोई पता नहीं चल पा रहा है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में आरोपी को न्यायालय के द्वारा विगत कई पेशियों से लगातार गिरफतारी वारंट से तलब किया जा रहा है, किन्तु पुलिस द्वारा आरोपी को वारंट की तामिली में पेश नहीं किया गया है।

अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. द्वारा आरोपी की अनुपस्थिति में धारा-299 द.प्र.सं. के प्रावधान अंतर्गत सहायक उपनिरीक्षक गोहनलाल छिपेश्वर की अभिसाक्ष्य अभिलिखित किये जाने का निवेदन किया।

सहायक उपनिरीक्षक गोहनलाल छिपेश्वर के फरारी साक्ष्य लिये गये।

आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है। अतएव आरोपी नैनसुख पिता मंगल सतनामी, निवासी आमापारा बालौद जिला दुर्ग के विरूद्ध स्थायी वारंट जारी किया जावे।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ भाग पर लाल स्याही से यह नोट लगाया जावे कि आरोपी फरार होने से नष्ट न किया जावे की टीप अंकित की जावे।

्राधं के भ (सिराज अली) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर समयावधि के भीतर अभिलेखागार भेजा जावे ।